<u>न्यायालय–व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सारंगपुर, जिला राजगढ़(म.प्र.)</u>
<u>(समक्ष – रविन्द्र गुप्ता)</u>

New Case No- RCSA/95 /2020
Filling No- RCSA /122/2020
CNR No - MP39090013212020
Reg. No- RCSA /24 / 2020
Filling Date- 01/09/2020

1– पिन्टू कुमार पिता कुसुमसिंह उर्फ कुसुमकांत, जाति–धाकड़, आयु–28 वर्ष, व्यवसाय–मजदूरी, निवासी–ग्राम ओढ़पुर, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़

2– गंगाबाई पति प्रहलाद नागर, जाति–धाकड़, आयु–32 वर्ष, निवासी–कोडियाखेड़ी, तहसील पचोर, जिला राजगढ़

– – – – – वादीगण

विरूद्व

1– ओमवति बाई विधवा लक्ष्मीचंद धाकड़, आयु–60 वर्ष,

2– अनिल कुमार पिता लक्ष्मीचंद धाकड़, आयु–30 वर्ष,

3– जितेन्द्र पिता लक्ष्मीचंद धाकड़, आयु–27 वर्ष,

4– त्रिलोकचंद पिता कालूराम धाकड़, आयु–60 वर्ष,

5– चुन्नीलाल पिता कालूराम धाकड़, आयु–57 वर्ष,

6– अशोक कुमार पिता कालूराम धाकड़, आयु–40 वर्ष,

7– चंदाबाई पुत्री कालूराम धाकड़, आयु–50 वर्ष,

8– विष्णु पिता कुसुमसिंह धाकड़, आयु–19 वर्ष,

9– रमाबाई विधवा कुसुमसिंह धाकड़, आयु–45 वर्ष, समस्त व्यवसाय–खेती, निवासी–ग्राम सुल्तानिया, तहसील पचोर, जिला राजगढ़

10– कांताबाई पत्नी लक्ष्मीचंद, आयु–65 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य, निवासी–ग्राम ओढ़पुर, पोस्ट भाटखेड़ी, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़

11– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर राजगढ़, जिला राजगढ़

– – – – – प्रतिवादीगण

<u>— : निर्णय : —</u>

<u>(आज दिनांक 23.01.2023 को घोषित किया गया)</u>

01. वादीगण द्वारा यह वाद वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, बंटवारा, कब्जा प्राप्ति, अंर्तवर्ती लाभ एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि इस वादपत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित कृषि भूमि कुल किता 27, रकबा 12.007 हे. ग्राम सुल्तानिया तहसील पचोर, जिला राजगढ़ में स्थित हैं तथा परिशिष्ट 'ब' में वर्णित भूमि कुल किता 04, रकबा 1.181 हे. स्थित हैं, जिसका विवाद हैं, मूल पुरूष कालूराम धाकड़ थे, कालूराम की मृत्यु लगभग 15 वर्ष हुए तब हो गयी हैं, मृतक कालूराम के लक्ष्मीचंद, त्रिलोकचंद, कुसुमसिंह, चुन्नीलाल, अशोकसिंह पुत्र तथा प्रतिवादी क्र. 7 चंदाबाई पुत्री हैं, लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो चुकी हैं, मृतक लक्ष्मीचंद की प्रतिवादी क्र. 1 विधवा हैं तथा प्रतिवादी क्र. 2 अनिल कुमार तथा प्रतिवादी क्र. 3 जितेन्द्र कुमार पुत्र हैं, कुसुमसिंह की मृत्यु हो चुकी हैं, मृतक कुसुमसिंह का वादी क्र. 1 पिंटू कुमार पुत्र एवं वादी क्र. 2 गंगाबाई पुत्री हैं।

03. आगे वादीगण का यह भी अभिवचन है कि परिशिष्ट 'अ' में वर्णित कृषि भूमि में कुसुमसिंह का 1/6 हिस्सा था अर्थात कुसुमसिंह का 1/6 स्वत्व था तथा परिशिष्ट 'ब' कृषि भूमि का कुसुमसिंह अकेला भूमि स्वामी था, कुसुमसिंह की विवाहित पत्नी प्रतिवादी क्र. 10 कांताबाई थी, कुसुमसिंह एवं कांताबाई का पुत्र वादी क्र. 1 पिंटू कुमार एवं पुत्री वादी क्र. 2 गंगाबाई हैं, वादीगण का पिता कुसुमसिंह एवं वादीगण की माता प्रतिवादी क. 10 कांताबाई हैं, प्रतिवादी क्र. 09 का विवाह फूलसिंह से हुआ हैं, प्रतिवादी क्र. 9 रमाबाई को विवाहित पति ने कभी भी विधिवत तलाक नहीं दिया हैं, वादीगण के पैदा हो जाने के बाद वादीगण के पिता कुसुमसिंह ने प्रतिवादी क्र 10 कांताबाई प्रथम विवाहित पत्नी के जीवित होते हुए प्रथत पत्नी कांताबाई से विधिवत तलाक लिये बगैर तथा प्रतिवादी क. 09 का विवाहित पति उस समय जीवित होते हुए, प्रतिवादी क्र. 09 का उसके विवाहित पति से विधिवत तलाक हुए बगैर प्रतिवादी क्र. 09 रमाबाई से दूसरा विवाह नातरा लगभग 22 वर्ष पूर्व कर लिया, प्रतिवादी क. 9 रमाबाई का वादीगण के पिता कुसुमसिंह से विधिवत विवाह नहीं हुआ और ना ही प्रतिवादी क्र. 9 मृतक कुसुमसिंह की वैध पत्नी नही हैं, इस कारण प्रतिवादी क्र. 09 को मृतक कुसुमसिंह की वादग्रस्त संपत्ति में कोई स्वत्व अधिकार नहीं हैं।

04. आगे वादीगण के यह भी अभिवचन है कि प्रतिवादी क्र. 09 रमाबाई का वादीगण के पिता कुसुमसिंह से विधिवत विवाह नहीं हुआ हैं, इस कारण प्रतिवादी क्र. 09 मृतक कुसुमसिंह के विधिवत विवाहित वैध पत्नी नही हैं, इस कारण प्रतिवादी क्र. 09 को मृतक कुसुमसिंह की वादग्रस्त संपत्ति मे कोई स्वत्व अधिकार नही हैं, प्रतिवादी क्र. 9 रमाबाई का विवाहित पति, कुसुमसिंह से रमाबाई के नातरा विवाह होने के समय जीवित था और रमाबाई और उसके विवाहित पति का तलाक नहीं हुआ, इस कारण प्रतिवादी क्र. 09 रमाबाई और कुसुमसिंह का नातरा विवाह अवैध है और इस कारण भी प्रतिवादी क्र. 09 रमाबाई, मृतक कुसुमसिंह की वैध पत्नी नही हैं, प्रतिवादी क्र. 8 विष्णु, मृतक कुसुमसिंह की अवैध पत्नी प्रतिवादी क्र. 9 रमाबाई से उत्पन्न अवैध संतान हैं, वादीगण की माता प्रतिवादी क्र. 10 कांताबाई ने दूसरी अवैध पत्नी रमाबाई के आ जाने से कुसुमसिंह के जीवनकाल में ही लक्ष्मीचंद धाकड़, निवासी ओढ़पुर से दूसरा नातरा विवाह कर लिया, इस कारण अब प्रतिवादी क्र. 10 कांताबाई को मृतक कुसुमसिंह की संपत्ति में कोई स्वत्व अधिकार नही हैं, वादीगण मृतक कुसुमसिंह के वैध उत्तराधिकारी है और मृतक कुसुमसिंह की वादग्रस्त संपत्ति के स्वामी हैं।

05. आगे वादीगण के यह भी अभिवचन है कि कुसुमसिंह के मरने के बाद प्रतिवादी क्र. 8 विष्णु तथा प्रतिवादी क्र. 9 रमाबाई ने मृतक कुसुमसिंह का एकमेव वारिस बताकर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी क्र. 8,9 को कोई स्वत्व अधिकार न होते हुए तथा वह कुसुमसिंह के वैध वारिस ना होते हुए तहसील पचोर से प्र.क्र. 528/अ6/2019–20 में आदेश दिनांक 05.06.2020 से अपना नामातंरण करा लिया हैं, प्रतिवादी क्र. 9,10, मृतक कुसुमसिंह के वैध वारिस नहीं हैं, इस कारण उन्हें वादग्रस्त संपत्ति में कोई स्वत्व अधिकार नही हैं, कुसुमसिंह के मरने के बाद प्रतिवादी क्र. 8,9 ने कुसुमसिंह की वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 25.11.2019 को जबरन कब्जा कर लिया हैं तथा वादग्रस्त भूमि पर ऋणभार पैदा करने एवं हस्तांतरित करने की धमकी दी हैं।

06. आगे वादीगण के यह भी अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि से 1,00,000 रूपये बचत हो जाती हैं, जिसे प्रतिवादी क्र. 8,9 अनुचित रूप से प्राप्त कर रहे हैं और वादीगण को उक्त लाभ प्राप्ति से वंचित कर रखा हैं, इस कारण वादीगण, प्रतिवादी क्र. 08, 09 से एक लाख रूपये सालाना की दर वासलात की रकम प्राप्त करने के अधिकारी हैं, वादीगण को प्रतिवादी क्र. 08, 09 के विरूद्ध वाद कारण प्रतिवादी क्र. 08, 09 द्वारा

तहसीलदार पचोर से स्वयं को मृतक कुसुमसिंह का एकमात्र वारिस बताते हुए मृतक कुसुमसिंह की वादग्रस्त संपत्ति कर दिनांक 05.06.2020 को नामातंरण करा लेने से वादीगण के स्वत्व पर आघात पहुंचाने से तथा प्रतिवादी क. 8,9 द्वारा कुसुमसिंह की वादग्रस्त भूमि पर जबरन अवैध कब्जा दिनांक 25.11.2019 को कर लेने से तथा वादग्रस्त भूमि पर ऋण भार पैदा करने एवं भूमि हस्तांतरित करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ हैं।

07. आगे वादीगण के यह भी अभिवचन है कि यदि प्रतिवादी क. 8,9 को वादग्रस्त भूम पर ऋण भार पैदा करने से एवं वादग्रस्त भूमि हस्तांतरित करने से जरिये निषेधाज्ञा नहीं रोका गया तो वादीगण को भय है कि प्रतिवादी क. 8,9 वादग्रस्त भूमि पर ऋण भार पैदा कर देगें, उसे हस्तांतरित कर देगें, जिससे वादीगण को अपरिमित हानि होगी। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, बंटवारा, कब्जा प्राप्ति, अंर्तवर्ती लाभ एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत यह वाद प्रस्तुत किया हैं।

08. प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावे में व्यक्त किया है कि वंशवृक्षावली त्रुटिपूर्ण होने से स्वीकार नहीं हैं, वादी पिंटू एंव गंगाबाई, मृतक कुसुमसिंह की संतान नहीं हैं, कुसुमसिंह की एकमात्र संतान प्रतिवादी क. 8 विष्णु हैं, प्रतिवादी क. 9, मृतक कुसुमसिंह की विधवा पत्नी हैं, कृषि भूमि में कुसुमसिंह का हिस्सा 1/6 भाग होकर उसके स्वत्व होना स्वीकार हैं, परिशिष्ट 'ब' की कृषि भूमि राजस्व कागजातों में कुसुमसिंह के नाम पर अवश्य दर्ज रही हैं, किंतु उक्त भूमि परिवार द्वारा परिवार की संयुक्त आय से अन्य संपत्तियों के साथ क्रय की गयी हैं, कुसुमसिंह का विवाह प्रतिवादी क. 10 के साथ हुआ था।

09. आगे प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावे में यह भी व्यक्त किया हे कि विवाह पश्चात इस आशय की जानकारी मिलने पर भी प्रतिवादी क. 10 कांताबाई के अवैध संबंध विवाह पूर्व से लक्ष्मीचंद के साथ रहे हैं, जो विवाह पश्चात भी कांताबाई ने निरंतर बनाये रखे, इसी कारण कुसुमसिंह का कांताबाई से जाति समाज में प्रचलित रिति रिवाज से छोडछुटटी/तलाक समाज के पंचों द्वारा करवा दिया गया था, उक्त तलाक पश्चात कांताबाई ने जाति समाज के रिति रिवाज के अनुसार लक्ष्मीचंद से नात्रा विवाह कर लिया तथा नात्रा विवाह पश्चात से ही लक्ष्मीचंद के घर पर पत्नी के रूप में निवासरत हैं, कांताबाई से वादी क. 1 पिंटू व वादी क. 2 गंगाबाई का जन्म हुआ, किंतु

वादीगण के पिता कुसुमसिंह नही थे, बल्कि लक्ष्मीचंद से कांताबाई को उक्त दोनों संतानों का जन्म हुआ हैं, उक्त दोनों वादीगण जन्म के समय से ही लक्ष्मीचंद के घर पर रहे हैं, उनका पालन पोषण भी लक्ष्मीचंद द्वारा ही किया गया हैं।

10. प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावे में यह भी व्यक्त किया है कि वादीगण की माता प्रतिवादी क्र. 10 कांताबाई होना स्वीकार हैं, किंतु वादीगण के पिता कुसुमसिंह होना अस्वीकार हैं, प्रतिवादी क्र. 9 रमाबाई का बाल्यावस्था में विवाह फूलसिंह धाकड़ के साथ संपन्न हुआ था, रमाबाई के वयस्क होने पर रमाबाई का तलाक जाति समाज के प्रचलित रिति रिवाज अनुसार समाज के पंचो के समक्ष हो गया, रमाबाई कभी भी फूलसिंह के घर पत्नी के रूप में नहीं रही, पक्षकारगण धाकड़ पिछड़ा वर्ग जाति के हैं, उनकी जाति समाज में छोड़–छुटटी समाज के पंचों द्वारा करवाया जाता हैं, जो मान्य रहता हैं, उक्त तलाक पश्चात महिला पुरूष स्वतंत्र रूप से अन्य महिला पुरूष से विवाह कर सकते हैं, उक्त तलाक शुदा महिला पुरूष जाति समाज में प्रचलित रिति रिवाज अनुसार नात्रा प्रथा से विवाह कर सकते हैं, जो जाति समाज में वैध विवाह के रूप में मान्यता प्राप्त रहता है, कुसुमसिंह का कांताबाई से तलाक होने के बाद रमाबाई से नात्रा विवाह किया, रमाबाई ने भी वयस्क होने पर फूलसिंह से तलाक हो जाने के पश्चात कुसुमसिंह से नात्रा विवाह किया हैं, उक्त विवाह को लगभग 23 वर्ष हो गये, विवाह पश्चात से रमाबाई कुसुमसिंह के घर कुसुमसिंह के जीवनकाल तक पत्नी के रूप में साथ रही हैं, रमाबाई कुसुमसिंह की विवाहिता पत्नी रही हैं, प्रतिवादी क्र. 9 को कुसुमसिंह की विधवा होने से कुसुमसिंह की संपत्ति में स्वत्व उत्तराधिकार प्राप्त हुये हैं, प्रतिवादी क्र. 8 कुसुमसिंह की वैध पत्नी रमाबाई से उत्पन्न संतान हैं।

11. प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावे में यह भी व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्र. 10 कांताबाई ने कुसुमसिंह से तलाक हो जाने पश्चात लक्ष्मीचंद धाकड से नात्रा विवाह कर लिया, प्रतिवादी क्र. 8,9 कुसुमसिंह के वैध उत्तराधिकारी हैं, उनका भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज विधिवत हुआ हैं, प्रतिवादी क्र. 8,9 वादग्रस्त भूमि में कुसुमसिंह के जीवनकाल से ही काबिज रहे हैं, वादीगण कभी भी ग्राम सुल्तानिया में निवासरत नहीं रहे हैं और न उनका कभी किसी भी रूप में वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य रहा हैं, वादग्रस्त भूमि कम उपजाउ भूमि हैं, पर्याप्त बारिश होने पर ही फसल पैदा होती हैं, कुसुमसिंह की मृत्यु पश्चात हलका पटवारी की रिपोर्ट व गांव के पंचनामे के आधार

पर प्रतिवादी क्र. 8 विष्णु, प्रतिवादी क्र. 9 रमाबाई का राजस्व न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में विधिवत नामातंरण हुआ हैं, वादीगण ने जिसकी अपील की थी, अपील भी निरस्त हुयी हैं, मृतक कुसुमसिंह ने भविष्य के विवादों को ध्यान में रखते हुए उसके जीवनकाल में एक वसीयत लेख दिनांक 20.05.2020 को निष्पादित किया हैं और वसीयतनामा निष्पादित कर उसकी मृत्यु पश्चात समस्त संपत्ति का वारिस प्रतिवादी क्र. 8 एवं प्रतिवादी क्र. 9 को बनाया हैं। अतः वाद असत्य आधारों पर होने से निरस्त करने की प्रार्थना की है।

12. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष विवेचना उपरांत अंकित किये जा रहे हैं

क्र.	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या ग्राम सुल्तानिया तहसील पचोर में स्थित परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि में वादी क्र. 1 का 1/8 हिस्से का स्वत्व तथा वादी क्र. 2 का 1/8 हिस्से का स्वत्व निहित हैं?	प्रमाणित नहीं
2	क्या ग्राम सुल्तानिया तहसील पचोर में स्थित परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि में वादी क्र. 1 का 1/3 हिस्से का स्वत्व तथा वादी क्र. 2 का 1/3 हिस्से का स्वत्व निहित हैं?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादीगण, उक्त वादग्रस्त भूमि में उनके हिस्से के अनुसार बंटवारा कराने के अधिकारी हैं?	प्रमाणित नहीं
4	क्या वादीगण, उक्त वादग्रस्त भूमि में उनके हिस्से के अनुसार कब्जा प्राप्त करने के पात्र हैं?	प्रमाणित नहीं
5	क्या वादीगण, उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में अंर्तवती लाभ/वासलात राशि प्राप्त करने के पात्र हैं?	प्रमाणित नहीं
6	सहायता एवं व्यय?	वादीगण का वाद प्रमाणित नहीं होने से अंतिम पैरा अनुसार वाद निरस्त किया गया।

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—

वाद प्रश्न कमांक 01 लगायत 05 पर विवेचना :—

13. उपरोक्त वादप्रश्नों की विवेचना साक्ष्य पुनरावृत्ति से बचने के लिये एक साथ की जा रही है।

14. उक्त के संबंध में वादी की ओर से स्वयं वादी पिंटू कुमार वा.सा. 01, वादी साक्षी रामबगस वा.सा. 02, वादी साक्षी गुलाबसिंह वा.सा. 03 की साक्ष्य अभिलिखित करायी हैं तथा खंडन में प्रतिवादी साक्षी विष्णु प्र.सा. 01, प्रतिवादी साक्षी हरिसिंह प्र.सा. 02, प्रतिवादी साक्षी त्रिलोकचंद प्र. सा. 03, प्रतिवादी साक्षी बद्रीलाल प्र.सा. 04 एवं प्रतिवादी साक्षी गंगाधर प्र.सा. 05 की साक्ष्य अभिलिखित करायी है।

15. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2007—08 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी 01 एवं प्रपी 02, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2015—16 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी 03, तहसीलदार पचोर के आदेश दिनांक 05.06.2020 की प्रमाणित प्रति प्रपी 04, गंगाबाई का स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रपी 05, गंगाबाई का आधार कार्ड प्रपी 06, वादी पिंटू का स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रपी 07, आधार कार्ड प्रपी 08, गंगाबाई एवं वादी पिंटू का वोटर आई.डी. ⁄निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रपी 09, प्रपी 10, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2020—21 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी 11, खसरा वर्ष 2018—19 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी 12, प्रपी 13, प्रपी 14 एवं प्रपी 15, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2020—21 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी 16 एवं प्रपी 17 प्रस्तुत की है।

16. खंडन में प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में समग्र पोर्टल परिवार कार्ड प्रडी 01, छोड़ छुटटी के संबंध में लिखापढी प्रडी 02, वसीयतनामा प्रडी 03, कुसुमसिंह की शादी की विवाह पत्रिका प्रडी 04, शुभकामना पत्र प्रडी 05 प्रस्तुत की है।

17. वादी पिंटू कुमार वा.सा. 01 ने उसकी साक्ष्य में सारतः व्यक्त किया है कि वह कुसुमसिंह का लड़का हैं, कुसुमसिंह को कुसुमकांत के नाम से भी जानते थे, कुसुमसिंह की लड़की गंगाबाई है, उसके पिता कुसुमसिंह की मृत्यु को लगभग ढ़ाई वर्ष हो चुके है, वादग्रस्त भूमि ग्राम सुल्तानियां में है, कुसुमसिंह की सात फेरे से विवाहित पत्नी कांताबाई थी, उसका तथा उसकी बहन गंगाबाई का जन्म कुसुमसिंह एवं कांताबाई के संसर्ग से हुआ है।

18. वादी पिंटू कुमार वा.सा. 01 ने उसकी साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि रमाबाई कुसुमसिंह की दूसरी पत्नी रखैल थी, रमाबाई का विवाह फूलसिंह धाकड़ हराना से हुआ था, उसकी बहन की आयु 3 वर्ष एवं उसकी आयु 5 वर्ष थी उस समय उसके

माता–पिता का आपस में झगड़ा हो गया था, उसके पिता कुसुमसिंह उसकी मां कांताबाई से विवाह के 10 वर्ष बाद रमाबाई को लेकर आये थे, इसके बाद उसे, उसकी बहन एवं उसकी मां को उसके पिता ने घर से निकाल दिया तो वह उनके नाना के यहां ग्राम ओड़पुर चले गये थे, विष्णु रमाबाई का पुत्र है, वह छोटा है तथा उसकी बहन बड़ी है।

19. वादी पिंटू कुमार वा.सा. 01 ने उसकी साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि ग्राम ओड़पुर में वह, उसकी बहन और मां, नाना भंवरलाल के यहां आ गये थे, वही पर ग्राम ओड़पुर में पढ़ाई–लिखाई की थी, उस समय उसकी आयु 6 वर्ष और उसकी बहन की आयु 8 वर्ष थी, वह ग्राम ओड़पुर में 8वीं कक्षा तक पढ़ा, उसके पिता की मृत्यु के बाद नक्ता घाटा का कार्यक्रम उन्होनें ओड़पुर में किया था, उनके यहां ओड़पुर आने के बाद 15 वर्ष बाद उसकी माता कांताबाई, लक्ष्मीचंद के यहां बैठ गई, उसके पिता की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी रमाबाई और रामबाई के पुत्र विष्णु ने वादग्रस्त जमीन का नामांतरण करवा लिया, उसके पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त जमीन पर रमाबाई और विष्णु का कब्जा है और वही फसल ले रहे है। उक्त जमीन में लगभग 1 लाख रूपये सालाना की फसल हो जाती है। प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि उसने सुल्तानिया में रहने का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया हैं, रमाबाई, कुसुमसिह की नातरा वाली पत्नी हैं, कुसुमसिंह की मृत्यु सुल्तानिया गांव में हुयी थी, उसने वादग्रस्त भूमि के नामातंरण में आपत्ति की थी, जो निरस्त हो गयी थी, अपील करने पर अपील भी निरस्त हुयी थी।

20. वादी साक्षी रामबगस वा.सा. 02 ने उसकी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि शादी के एक साल बाद से कांताबाई कुसुमसिंह के यहां आने–जाने लगी थी, आने–जाने के दो साल बाद लड़की पैदा हुई थी, यह लड़की कुसमसिंह से पैदा हुई थी, कांताबाई की पहली डिलीवरी ओडपुर में पिता भंवरलाल के घर हुई जिसमें लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम गंगाबाई है, गंगाबाई के दो–ढाई साल बाद पिन्टू पैदा हुआ था, पिन्टू का पिता कुसुमसिंह है, पिन्टू की डिलीवरी सुल्तानियां में ही हुई थी, कांताबाई त्यौहार पर उनके गांव में आती थी और कुसुमसिंह भी उनके गांव में कांताबाई को लेने के लिए आता था, पांच–चार–छः बार उसने कुसुमसिंह को ले जाते हुए देखा, कुसुमसिंह बालक को भी ले जाता था, गांव में कुसुमसिंह आता था तो उनके घर पर भी आता था, बालक को घरवाली को भी लेकर आता था,

21. वादी साक्षी रामबगस वा.सा. 02 ने उसकी साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया

है कि कांताबाई को कुसुमसिंह ने लगभग 10—12 साल रखी थी, पिन्टू और गंगाबाई को और कांताबाई को कुसुमसिंह ने भगा दिया, फिर यह लोग भंवरलाल के घर रहने लगे, जब पिन्टू को भगाया तब पिन्टू की उम्र 05 साल होगी और गंगाबाई की उम्र 08 साल होगी, कांताबाई को भगाने के बाद लगभग आठ वर्ष भंवरलाल के घर बैठी रही, इसके बाद भंवरलाल ने कांताबाई को लक्ष्मीचंद के यहां बिठा दी, उनके गांव में जन्म—मृत्यु प्रमाण पत्र 8—10 साल से बनने लगे है पहले नही बनते थे। प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि उसके समाज में छोड छुटटी तलाक की कार्यवाही होती है, यदि कुसुमसिंह और कांताबाई की छोड छुटटी की कार्यवाही पंचों द्वारा की गयी हो तो उसे नहीं मालूम।

22. वादी साक्षी गुलाबसिंह वा.सा. 03 ने साक्ष्य में व्यक्त किया है कि वादीगण पिंटू तथा गंगाबाई, कुसुमसिंह के पुत्र—पुत्री है, शादी के तीन साल बाद गंगाबाई कुसुमसिंह से पैदा हुई जिसका जन्म ओड़पुर में भंवरलाल के घर हुआ था, उन्हें भंवरलाल ने बुलाया था तो उसे पता चला कि गंगाबाई पैदा हुई है, वह और उसकी पत्नी भंवरलाल के घर जब गंगाबाई पैदा हुई थी तब गये थे, उस समय उसने दो रूपये गंगाबाई के हाथ में दिये थे, उसके तीन साल बाद पिंटू सुल्तानियां में कुसुमसिंह के यहां पैदा हुआ।

23. वादी साक्षी गुलाबसिंह वा.सा. 03 ने साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि कांताबाई शादी के बाद उनके यहां ग्यारस तथा भाईदूज पर आती जाती थी जिसको लेने के लिए कुसुमसिंह उनके गांव आता था, कुसुमसिंह जब भंवरलाल के यहां आता तो गांव जमाई होने से वह कुसुमसिंह को उसके घर चाय पिलाने बुलाता था, जब उनके यहां मिलने कुसुमसिंह आता तो गोदी में पिंटू को लाता और साथ में गंगाबाई को लाता, पिंटू और गंगाबाई को लेकर कुसुमसिंह उसके घर लगभग 10—12 बार आया, वह कालूराम को जानता हैं, शादी के दस साल बाद कांताबाई और कुसुमसिंह में विवाद हुआ होगा तो पिंटू, गंगाबाई और कांताबाई भंवरलाल के घर ग्राम ओड़पुर रहने लगे, इसके दस साल बाद कांताबाई को भंवरलाल ने लक्ष्मीचंद के यहां बिठा दी थी। जब कुसुमसिंह ने अपने घ ार से कांताबाई को भगाया तब पिंटू की आयु तीन साल तथा कांताबाई की आयु पांच साल होगी। प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि उनकी जाति में फारगति या छोड छुटटी को तलाक होना मानते हैं, उनकी जाति में बाल्यावस्था में शादी हो जाने पर तथा बालिग हो जाने पर एक दूसरे को पसंद नहीं करने पर जाति समाज से फारगति, तलाक हो जाती हैं।

24. प्रतिवादी साक्षी विष्णु प्र.सा.–1 ने उसकी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि उसके पिता का नाम कुसुमसिंह था, जिनको कोई अन्य नाम से नही जाना जाता था, कुसुमसिंह की एक ही संतान वह अकेला हैं, कुसुमसिंह की पत्नी का नाम रमाबाई है, रमाबाई को पत्नी के रूप में कुसुमसिंह के साथ रहते हुए 29 साल हो गये, रमाबाई का पूर्व में विवाह हराना में उनकी बाल्यावस्था में हुआ था, शादी के समय ही 1–2 दिन रही थी उसके बाद कभी भी वह अपने पूर्व पति के यहां हराना नही गई, उनका आपस में छोड़–छुट्टी हो गया था, वह धाकड़ जाति का हैं, उनकी जाति में पहले पति से छोड़–छुट्टी होने के बाद दूसरे व्यक्ति के साथ नातरा प्रथा द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ नातरा करके जा सकती है, रमाबाई व कुसुमसिंह का भी नातरा प्रथा से विवाह हुआ था, वह गंगाबाई और पिंटू को नही जानता हैं, पिंटू और गंगाबाई ग्राम सुल्तानियां में कभी भी नही रहे है, पिंटू और गंगाबाई ग्राम ओड़पुर में लक्ष्मीचंद के यहां निवास करते है, उसने लक्ष्मीचंद के परिवार की समग्र पोर्टल परिवार कार्ड प्रस्तुत किया है जो प्रडी 01 है।

25. प्रतिवादी साक्षी विष्णु प्र.सा.–1 ने उसकी साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि उसने यह सुना है कि कुसुमसिंह की पूर्व पत्नी ग्राम ओड़पुर की थी, कुसुमसिंह का उसकी पूर्व पत्नी से गांव के पंचों के सामने छोड–छुट्टी हो गई थी, उक्त छोड़–छुट्टी के संबंध में लिखा पढ़ी हुई थी जो प्रडी 02 है, कुसुमसिंह की मृत्यु वर्ष 2019 में हार्ट अटैक से हो गई, कुसुमसिंह को ब्लड़ प्रेषर व ह्दय की बीमारी थी, मृत्यु के पूर्व भी एक बार अटैक आ चुका था, अटैक आ जाने पर उनके रिश्तेदार लोग उनसे मिलने के लिए कुसुमसिंह के घर पर आये थे तब कुसुमसिंह ने रिश्तेदारों के समक्ष एक वसीयतनामा वादग्रस्त जमीन के संबंध में वादग्रस्त जमीन के मालिक विष्णु और रमाबाई रहेंगे इस संबंध में बनाया था, उक्त वसीनामा उसने पेश किया है जो प्रडी 03 है, उक्त वसीयतनामा प्रडी 03 बद्रीलाल नागर ग्राम बडी सेमली जो उनके रिश्तेदार है उन्होंने लिखा था, उक्त वसीयतनामा लिखने के बाद उसके पिता कुसुमसिंह ने हस्ताक्षर किये थे।

26. प्रतिवादी साक्षी विष्णु प्र.सा.–1 ने उसकी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि वसीयतनामा प्रडी 03 पर ए से ए भाग पर उसके पिता कुसुमसिंह के हस्ताक्षर है, इसके बाद गवाहों ने गंगाधर व मथुरालाल ने कुसुमसिंह के सामने हस्ताक्षर किये थे, वसीयत लिखने वाले बद्रीलाल ने भी हस्ताक्षर किये थे, कुसुमसिंह की मृत्यु पश्चात् उनका नुक्ता–द

ाटा, क्रियाकर्म उसने ही ग्राम सुल्तानियां में किया था, उनकी जमीन संयुक्त खाते में भी है और सब भाईयों के अलग–अलग खाते में भी है, उसके पिता कुसुमसिंह के भाईयों का कोई आपसी बंटवारा नही हुआ है, वह खेती का काम करता हैं, वह जब से समझने लगा तब से खेती का काम करता है, उसकी मां रमाबाई भी खेती का काम करती है, वादीगण ने उनके गांव में कभी खेती नही की, गंगाबाई और पिंटू, लक्ष्मीचंद निवासी ओड़पुर की संताने है, कांताबाई कुसुमसिंह से छोड़–छुट्टी होने से पहले ही ओड़पुर में रहती थी, कांताबाई कुसुमसिंह के घर से जाने के बाद लक्ष्मीचंद निवासी ओड़पुर के यहां नातरा विवाह करके बैठ गई थी। प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि प्रडी 02 एवं प्रडी 03 के लेख फर्जी हैं। इस तथ्य से भी इंकार किया है कि वादीगण उसके पिता की संताने है।

27. प्रतिवादी साक्षी हरिसिंह प्र.सा.–2 ने साक्ष्य में व्यक्त किया है कि उनकी जाति में पहले बाल विवाह होता था, बाद में बालिग होने पर बेमेल शादी हो जाने पर आपस में समझौता होता था, अगर एक दूसरे संबंध में नही रखना चाहते तो दोनों गांव के पंच बैठकर आपसी समझौता कर तलाक फारगति कर देते थे, कुसुमसिंह उसकी पत्नी को लेने गया था वो नही आई थी तो तलाक फारगति का फैसला उनके समाज के भेरूसिंह के यहां हुआ था, उक्त संबंध में लिखापढ़ी दादाभाई भेरूसिंह ने की थी उस समय वह भी था, भंवरलाल और उनके परिवार के लोग थे और कुसुमसिंह की पत्नी भी लिखापढ़ी के समय मौजूद थी, पंचों ने कुसुमसिंह की पत्नी से पूछा था कि तुम कुसुमसिंह के यहां आना चाहती हो या नही तब उसने इंकार कर दिया था कि वह नही रहना चाहती हैं, जबरन करोगे तो कुआं–कुंडी करूंगी तो पंचो ने उनके झगड़े का निपटारा कर दिया था।

28. प्रतिवादी साक्षी हरिसिंह प्र.सा.–2 ने साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि लिखापढी के समय सुल्तानियां गांव का कैलाश सरपंच, दिनेश और रामनारायण आदि लोग थे, कांताबाई ने प्रडी 02 की लिखापढ़ी पर हस्ताक्षर किये थे, उसने भी प्रडी 02 पर हस्ताक्षर किये थे, लिखापढ़ी के पहले से ही कांताबाई ओड़पुर में रह रही थी उसी लेने जाते थे वो आती नही थी, कांताबाई ने छोड छुट्टी के बाद ग्राम ओडपुर में ही नातरा विवाह कर लिया, कांताबाई के उस समय कोई बाल बच्चे थे ही नही। प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि छोड छुटटी के संबंध में कोई पंचायत इकटटी नही हुयी थी और प्रडी 02 का लेख फर्जी हैं।

29. प्रतिवादी साक्षी त्रिलोकचंद प्र.सा. 3 ने उसकी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि कुसुमसिंह उसका छोटा भाई था, शादी 35 साल पहले हुयी थी, उसके द्वारा प्रस्तुत कुसुमसिंह की शादी की विवाह पत्रिका प्रडी 04 हैं, कुसुमसिह के विवाह के संबंध में प्रेषित शुभकामना पत्र प्रडी 05 हैं, शादी के डेढ दो साल बाद ही कुसुमसिंह का कांताबाई से राजीनामा होकर छोड छुटटी हो गयी थी, शादी के बाद कांताबाई, कुसुमसिंह के घ ार एक दो बार ही आयी गयी थी, कांताबाई का उसके मायके में किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध था, इसलिये वह कुसुमसिंह के यहां नहीं आना चाहती थी, वह धाकड़ जाति का हैं, उनकी जाति में पति–पत्नी एक दूसरे के साथ नही रहना चाहते हो तो जाति समाज के पंचो के सामने छोड छुटटी हो जाती हैं, जिसे उनके समाज में फारगति कहते है।

30. प्रतिवादी साक्षी त्रिलोकचंद प्र.सा.–3 ने उसकी साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि कांताबाई व कुसुमसिंह का छोड छुटटी का फैसला सुल्तानिया गांव में भैरूसिंह बा की आट पर हुआ था, उस समय छोड छुटटी की लिखापढी हुयी थी, जिसे फारगति कहते है, उक्त फारगति कागज प्रडी 02 भैरूसिहं बा ने लिखा था, जिस पर कांताबाई ने निशानी अंगूठा लगाया था, प्रडी 02 पर डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उक्त लिखापढी के समय गांव के पंचो में लेखक भैरूसिंह, रामलाल, रामनारायण दादाभाई, कैलाश नागर, जगन्नाथ पटेल, हरिसिंह आदि लोग थे, उक्त साक्षियों में केवल वह व हरिसिंह जीवित हैं, बाकि साक्षियों की मृत्यु हो चुकी है।

31. प्रतिवादी साक्षी त्रिलोकचंद प्र.सा.–3 ने उसकी साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि प्रडी 02 के लेख पर कांताबाई के पिता भंवरलाल के भी हस्ताक्षर है, जो ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है, लेख पर एफ से एफ भाग पर हरिसिंह के हस्ताक्षर है, उक्त फारगति लेख के समय कुसुमसिंह को कांताबाई से कोई संतान नहीं थी, उक्त फारगति लेख लिखने के डेढ दो साल पूर्व से ही कांताबाई उसके मायके चली गयी थी, उक्त फारगति के लगभग एक वर्ष बाद ही कुसुमसिंह ने रमाबाई के साथ नातरा विवाह किया था, विष्णु, रमाबाई व कुसुमसिंह की संतान हैं, वादीगण को कभी भी उसने उनके गांव में नहीं देखा, वादीगण उनके यहां किसी भी कार्यक्रम मे कभी नहीं आये, उसके पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब तथा कुसुमसिंह की मृत्यु होने के समय भी वह कभी उनके गांव नही आये, कुसुमसिंह के नाम से दो कृषि खाते हैं, एक उसका निजी खाता है

तथा एक सामलाती खाता है, निजी खाते वाली जमीन कुसुमसिंह ने खरीदी हैं, सामलाती खाता पहले उसके पिता के नाम पर था, उसके पिता ने कुछ जमीने खरीदे हैं, कुछ जमीने भंवरलाल द्वारा उन्हें गोद रखने पर भंवरलाल से मिली थी।

32. प्रतिवादी साक्षी त्रिलोकचंद प्र.सा.–3 ने उसकी साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि कुसुमसिंह की मृत्यु 03 साल पूर्व हुयी है, कुसुमसिंह की हार्टअटैक से मृत्यु हुयी है, कुसुमसिंह को ब्लडप्रेशर की बीमारी थी, कुसुमसिंह को उसकी मृत्यु के पूर्व में भी बी.पी. बढ़ने की तकलीफ हुयी थी तथा उसे चिकित्सा के लिये शाजापुर लेकर गये थे, कुसुमसिहं ने उसकी मृत्यु के 4–5 महीने पूर्व उसकी संपत्ति के लिये एक लेख लिखा था, लेख को बद्रीलाल बडी सेमली वाले ने लिखा था, लेख लिखाते समय वह भी मौजूद था, गंगाधर, मथुरालाल, रमाबाई एवं विष्णु भी वहां मौजूद था, गंगाधर उसके मामाजी है तथा मथुरालाल हमारे समधी है, उक्त लोग कुसुमसिंह के बीमारी के समाचार लेने आये थे, बद्रीलाल शाजापुर इलाज के समय से ही उनके साथ गया था, बद्रीलाल उसका भानेज है। प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि प्रडी 03 का लेख उसके समक्ष नहीं लिखा गया, इस तथ्य से भी इंकार किया है कि प्रडी 03 का वसीयतनामा फर्जी हैं।

33. प्रतिवादी साक्षी बद्रीलाल प्र.सा.–4 ने उसकी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि कुसुमसिंह ने विष्णु और रमाबाई के नाम वसीयतनामा लिखने को कहा था जैसा कुसुमसिंह ने बोला था वैसा वसीयतनामा उसने लिखा था, प्रडी 03 का वसीयतनामा उसके द्वारा ही लिखा गया था, लिखने के बाद उसने वसीयतनामें को पढ़कर सुनाया था उसके बाद कुसुमसिंह ने उस पर हस्ताक्षर किये थे, प्रडी 03 के वसीयतनामें पर पहले कुसुमसिंह ने हस्ताक्षर किये थे, उसके बाद वहां पर मौजूद कुसुमसिंह के समधी मथुरालाल एवं कुसुमसिंह के मामा गंगाधर ने हस्ताक्षर किये थे, प्रडी 03 के वसीयतनामें के बी से बी भाग पर मथुरालाल के हस्ताक्षर तथा सी से सी भाग पर कुसुमसिंह के मामा गंगाधर के हस्ताक्षर है, उसने भी उक्त वसीयतनामा प्रडी 03 के डी से डी भाग पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि प्रडी 03 की लिखापढ़ी कुसुमसिंह ने निष्पादित नहीं की, उसके द्वारा फर्जी बनायी गयी है।

34. प्रतिवादी साक्षी गंगाधर प्र.सा.–5 ने उसकी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि कुसुमसिंह ने उसके सामने उसकी जमीन जायदाद की लिखापढ़ी करवाई थी, उक्त लिखापढ़ी बद्रीलाल ने लिखी थी, कुसुमसिंह बोलता गया था वैसा बद्रीलाल लिखता गया

था, लिखापढ़ी पर कुसुमसिंह ने हस्ताक्षर किये थे, उक्त लिखापढ़ी प्रडी 03 पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उक्त प्रडी 03 पर कागज लिखने वाले बद्रीलाल ने भी हस्ताक्षर किये थे और मथुरालाल ने भी हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया है कि प्रडी 03 की लिखापढी के समय कुसुमसिंह बीमार था, दवाईयां चल रही थी।

35. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम तर्क में व्यक्त किया है कि प्र.डी. 02 का तलाक नामा लेख फर्जी हैं, विधिमान्य नही हैं, उक्त लिखापढ़ी प्रडी 02 के गवाह विश्वसनीय नहीं है, वसीयतनामा संदेहजनक है, रमाबाई का विवाह शून्य होने से प्रतिवादी क्र. 9 रमाबाई को कोई हक नहीं हैं, प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज संदेहजनक हैं। वादीगण की ओर से अंतिम तर्क के समय निम्न न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं–

Gariba v. Hatimkhan, 1982, MPWN 176- claim based on supicious document- Court will refrain form giving any relief.

Manjeet Singh v. Meena alias Manpreet Kaur, 2001(II) MPWN 143- Law presumes strongly in favour of legitimacy- proof of non access- must be strong, distinct, clear, satisfactory and conclusive.

Rabbu v. Prembai, 1981(II) MPWN 91- Second marriage performed, when a spouse living- void abinitio- not required to be declared so by a decree of nullity.

Pusau v. Krishna Murari, 1985 MPWN 235 - Second marriage in presence of first wife - is void.

36. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम तर्क में व्यक्त किया है कि प्रडी 02 का छोड़ छुटटी फारगति तलाक नामा लेख 30 वर्ष पुराना दस्तावेज हैं और उक्त प्रडी 02 के लेख के गवाहों से प्रमाणित हुआ हैं, मृतक कुसुमसिंह ने उसके पुत्र विष्णु और पत्नी रमाबाई के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया था, उक्त वसीयतनामा साक्षियों से प्रमाणित हुआ हैं, जबकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत आधार कार्ड, वोटर कार्ड और टी.सी. असत्य रूप से तैयार करवाकर प्रस्तुत की गयी हैं, वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह विश्वसनीय नहीं है, प्रतिवादीगण की ओर से अंतिम तर्क के समय निम्न न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं–**Maya (Smt.) v. General Manager, Ordinance**

Factory, 2003(I) MPWN 44 - अवयस्कता के दौरान विवाह– पति ने पत्नी रूढ़ि के अनुसार छोड़ दी– विवाह विच्छेद विधिमान्य है।

Vidyawanti and another v. Durga Dass, 2008(III) MPWN 57 - वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर विरोधी प्रतिवादीगण द्वारा नासाबित नहीं किए गये–वसीयतदार वसीयत की गयी भूमि का खेती करने का कब्जा–यद्यपि अरजिस्ट्रीकृत, बिल संदेहास्पद होना नहीं पाई गयी– विल साबित।

Swarnalatha and others vs. Kalavathy and others, 2022(4) MPWN Page no. 474 S.C. - वसीयत से नैसर्गिक उत्तराधिकारियों में से किसी एक का अपवर्जन, अपने आप में यह अभिनिर्धारित करने का आधार नहीं होगा कि संदिग्ध परिस्थितियां हैं।

37. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों का सादर अवलोकन किया गया। उक्त न्याय दृष्टांतों मे प्रतिपादित विधि सिद्धांतो के आलोक में उभयपक्ष के अंतिम तर्क सहित अभिलेख पर आयी उभयपक्ष की साक्ष्य के अवलोकन से दर्शित हुआ है कि वादी पिंटू वा.सा. 01 की यह साक्ष्य रही है कि वादी पिंटू तथा उसकी बहन गंगाबाई का जन्म कुसुमसिंह एवं कांताबाई के संसर्ग से हुआ हैं, जब उसकी बहन की आयु 03 वर्ष और वादी पिंटू की आयु 05 वर्ष थी, तब माता पिता का झगड़ा हो गया था, उसकी मां सहित उन्हें पिता ने घर से निकाल दिया, 15 वर्ष बाद उसकी मां कांताबाई, लक्ष्मीचंद के यहां बैठ गयी, जबकि खंडन में प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी विष्णु प्र.सा. 01 की यह साक्ष्य है कि उसके पिता कुसुमसिंह का कांताबाई से छोड़ छुटटी होने से पहले से ही कांताबाई ओड़पुर में रहती थी और कांताबाई, लक्ष्मीचंद के यहां नातरा विवाह करके बैठ गयी थी, वादीगण, लक्ष्मीचंद की संताने हैं, जिसके समर्थन में लक्ष्मीचंद के परिवार के समग्र पोर्टल परिवार कार्ड प्रडी 01 प्रस्तुत किया हैं।

38. इस प्रकार स्वयं वादीगण की ओर से वादी पिंटू वा.सा. 01 सहित अन्य वादी साक्षीगण रामबगस वा.सा. 02, गुलाबसिंह वा.सा. 03 की साक्ष्य में प्रकट परिस्थितियों से यह दर्शित हुआ है कि वादीगण पिंटू, गंगाबाई की मां कांताबाई के कुसुमसिंह से संबंध अच्छे नहीं होकर कुसुमसिंह के घर ग्राम सुल्तानिया से कांताबाई उसके मायके ग्राम ओड़पुर आ गयी थी और लक्ष्मीचंद के यहां कांताबाई का नातरा विवाह हुआ।

39. खंडन में प्रतिवादी विष्णु प्र.सा. 01 सहित मृतक कुसुमसिंह के बड़े भाई

साक्षी त्रिलोकचंद प्र.सा. 03 सहित प्रतिवादी साक्षी हरिसिंह प्र.सा. 02 की साक्ष्य से यह परिस्थितियां प्रकट हुयी है कि कुसुमसिंह से कुसुमसिंह की पूर्व पत्नी कांताबाई का विवाह, विवाह पत्रिका प्रडी 04 एवं कलेक्टर के शुभकामना पत्र प्रडी 05 अनुसार अप्रेल 1986 में हुआ था तथा कुसुमसिंह का उसकी पूर्व पत्नी कांताबाई से गांव के पंचो के समक्ष छोड छुटटी की लिखापढी प्रडी 02 अनुसार कांताबाई, कुसुमसिंह को छोड़कर उसके मायके आ गयी थी।

40. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी साक्षी हरिसिंह प्र.सा. 02 ने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह भी बताया है कि कांताबाई ने छोड छुटटी के बाद ग्राम ओडपुर में नातरा विवाह कर लिया था, उस समय कांताबाई के कोई बाल–बच्चे नहीं थे, मृतक कुसुमसिंह के बड़े भाई साक्षी त्रिलोकचंद प्र.सा. 03 ने भी साक्ष्य में यही प्रकट किया है कि कांताबाई और कुसुमसिंह की छोड छुटटी फारगति लेख प्रडी 02 के समय कुसुमसिंह को कांताबाई से कोई संतान नहीं थी, उक्त फारगति लेख लिखने के डेढ दो साल पूर्व से ही कांताबाई उसके मायके चली गयी थी तथा ऐसा ही प्रतिवादी साक्षी हरिसिंह प्र.सा. 02 ने भी प्रकट किया है कि उक्त लिखापढी प्रडी 02 के पहले से ही कांताबाई उसके मायके ओडपुर में रह रही थी, उसे लेने जाते थे, वह आती नहीं थी, इस प्रकार प्रतिवादी साक्षीगण की साक्ष्य अनुसार कांताबाई, कुसुमसिंह से छोड छुटटी प्रडी 02 की लिखापढी के पूर्व से ही कांताबाई उसके मायके में रह रही थी और कुसुमसिहं और कांताबाई जब प्रडी 02 की लिखापढ़ी अनुसार अलग अलग हुए थे, तब उनकी कोई संतान नहीं थी।

41. इस प्रकार यदि वादीगण का यह अभिवचन है कि वादीगण का जन्म कांताबाई और कुसुमसिंह के संसर्ग से हुआ था, तो इस संबंध में वादीगण को उनकी मां कांताबाई की गवाही अभिलिखित करानी चाहिए थी तथा कांताबाई जिस लक्ष्मीचंद के यहां नातरा विवाह करके गयी और जिस लक्ष्मीचंद के परिवार की समग्र आई डी प्रडी 01 में वादीगण का नाम दर्ज हैं, उक्त लक्ष्मीचंद की गवाही भी वादीगण करा सकते थे, वादीगण ने कुसुमसिंह के परिवार के किसी सदस्य की, स्वयं की मां कांताबाई की, नाना भंवरलाल के परिवार की या अन्य किसी रिश्तेदार की कोई साक्ष्य अभिलिखित नहीं करायी हैं, यहां तक कि वादीगण में से वादी की बहन गंगाबाई भी साक्ष्य के लिये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुयी हैं, वादीगण को कुसुमसिंह के परिवार का कोई राशनकार्ड, ग्राम पंचायत सुल्तानिया से वादीगण का जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई

प्रमाणित दस्तावेज, शाला प्रवेश का प्रमाण पत्र, अंकसूची इत्यादि प्रस्तुत करनी थी, जबकि वादीगण ने ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है।

42. यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से जो प्रपी 05 लगायत प्रपी 10 के स्कूल स्थानातंरण प्रमाण पत्र सहित जो आधार कार्ड और निर्वाचन आयोग का मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत किये हैं, उनके अवलोकन से दर्शित है कि उक्त आधार कार्ड जारी होने की दिनांक दिसंबर 2020 तथा निर्वाचन आयोग के मतदाता परिचय पत्र जारी करने की दिनांक 04.03.2021 होकर स्कूल स्थानातंरण प्रमाण पत्र पर वादीगण पिंटू और गंगाबाई के जो फोटो चस्पा है, वह लगभग 25 से 28 वर्ष की आयु के फोटो चस्पा हैं तथा वह टी.सी. किस आधार पर जारी की गयी है, इस संबंध में स्कूल का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया हैं।

43. इस संबंध में प्रतिवादीगण के यह तर्क उचित है कि उक्त दस्तावेज वाद प्रस्तुत करने के दिनांक 01.09.2020 के पश्चात बनवाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, तब केवल उक्त दस्तावेजों के आधार पर जो पश्चातवर्ती प्रक्रम पर तैयार करवाकर प्रस्तुत किये गये हैं, इस संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वादीगण का जन्म कुसुमसिंह और कांताबाई के संसर्ग से हुआ है।

44. यह भी उल्लेखनीय है कि कांताबाई ने कुसुमसिंह का घर छोड़ने के बाद जिस लक्ष्मीचंद से नातरा विवाह किया हैं, उक्त लक्ष्मीचंद के परिवार के समग्र पोर्टल परिवार कार्ड प्रडी 01 के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त समग्र परिवार कार्ड में परिवार के मुखिया का नाम लक्ष्मीचंद, ग्राम पंचायत ओडपुर, पंजीयन दिनांक 28.02.2013, परिवार के सदस्यों की जानकारी में लक्ष्मीचंद, कांताबाई, वादीगण पिंटू, गीताबाई एवं पवन के नाम उल्लेखित हैं, जिसके खंडन में वादीगण की ओर से कुछ भी प्रकट नहीं किया गया हैं, इस प्रकार वादीगण की तुलना में प्रतिवादीगण की साक्ष्य अधिक विश्वसनीय दर्शित होकर वादीगण का जन्म कुसुमसिंह और कांताबाई के संसर्ग से होना मान्य किये जाने के संबंध में कोई निश्चित दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं हुआ हैं।

45. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की साक्ष्य से यह परिस्थितियां भी प्रकट हुयी है कि वादीगण ग्राम ओडपुर में नहीं रहे हैं, वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं, प्रतिवादीगण के यह अभिवचन रहे है कि कुसुमसिंह की मृत्यु पश्चात हलका पटवारी की रिपोर्ट व गांव के पंचनामे के आधार पर प्रतिवादी क्र. 8

विष्णु व प्रतिवादी क्र. 9 रमाबाई का राजस्व न्यायालय द्वारा विधिवत नामातंरण हुआ है तथा जिसकी वादीगण द्वारा अपील की जाने पर अपील निरस्त हुयी हैं, उक्त तथ्य को स्वयं वादी पिंटू वा.सा. 01 ने उसके प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया है कि उसने वादग्रस्त भूमि के नामातंरण में आपत्ति की थी, जो निरस्त हो गयी थी, अपील करने पर अपील भी निरस्त हुयी थी। प्रतिवादी साक्षी त्रिलोकचंद प्र.सा. 03 की साक्ष्य अनुसार मृतक कुसुमसिंह की मृत्यु के समय और कुसुमसिंह के पिता कालूराम की मृत्यु के समय भी वादीगण कुसुमसिंह के गांव नहीं आये।

46. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी साक्षी बद्रीलाल प्र.सा.–4 की साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि कुसुमसिंह ने प्रतिवादी साक्षी बद्रीलाल को विष्णु और रमाबाई के नाम वसीयतनामा लिखने को कहा था तथा जैसा कुसुमसिंह ने बोला था वैसा वसीयतनामा साक्षी बद्रीलाल ने लिखा था, प्रडी 03 का वसीयतनामा लिखने के बाद उसने वसीयतनामें को पढ़कर सुनाया था उसके बाद कुसुमसिंह ने उस पर हस्ताक्षर किये थे, प्रडी 03 के वसीयतनामें पर पहले कुसुमसिंह ने हस्ताक्षर किये थे, उसके बाद वहां पर मौजूद कुसुमसिंह के समधी मथुरालाल एवं कुसुमसिंह के मामा गंगाधर ने हस्ताक्षर किये थे, प्रडी 03 के वसीयतनामें पर मथुरालाल, कुसुमसिंह के मामा गंगाधर के हस्ताक्षर है, उसने भी उक्त वसीयतनामा प्रडी 03 पर हस्ताक्षर किये थे।

47. इसी प्रकार वसीयत प्रडी 03 के अनुप्रमाणन के गवाह प्रतिवादी साक्षी गंगाधर प्र.सा.–5 की साक्ष्य से भी यह प्रकट हुआ है कि कुसुमसिंह ने उक्त साक्षी के सामने जमीन जायदाद की लिखापढ़ी करवाई थी, कुसुमसिंह बोलता गया था वैसा बद्रीलाल लिखता गया था, लिखापढ़ी पर कुसुमसिंह ने हस्ताक्षर किये थे, उक्त लिखापढ़ी प्रडी 03 पर उक्त गवाह के हस्ताक्षर है, उक्त प्रडी 03 पर कागज लिखने वाले बद्रीलाल ने भी हस्ताक्षर किये थे और दूसरे अनुप्रमाणक साक्षी मथुरालाल ने भी हस्ताक्षर किये थे।

48. इस प्रकार प्रतिवादी विष्णु प्र.सा. 01, साक्षी त्रिलोकचंद प्र.सा. 03 सहित प्रतिवादी साक्षी बद्रीलाल प्र.सा. 04, प्रतिवादी साक्षी गंगाधर प्र.सा. 05 की साक्ष्य से यह परिस्थितियां भी प्रकट हुयी है कि कुसुमसिंह ने उसकी संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी विष्णु और रमाबाई के नाम प्रतिवादी साक्षी बद्रीलाल से वसीयतनामा प्रडी 03 लिखवाया था, उक्त वसीयतनामा प्रडी 03 को मृतक कुसुमसिंह के अनुसार लेखबद्ध करने संबंधी साक्ष्य प्रतिवादी साक्षी बद्रीलाल प्र.सा. 04 ने प्रकट की हैं, उक्त वसीयतनामा प्रडी 03 के

अनुप्रमाणक साक्षी गवाह गंगाधर प्र.सा. 05 की साक्ष्य से भी मृतक कुसुमसिंह द्वारा उक्त प्रश्नगत वसीयत प्रडी 03 का निष्पादन करना तथा उक्त वसीयत प्रडी 03 पर कुसुमसिंह द्वारा हस्ताक्षर करना और गवाह मथुरालाल द्वारा हस्ताक्षर करना प्रकट किया है तथा वादीगण की ओर से उक्त प्रडी 03 के वसीयतनामे पर मृतक कुसुमसिंह सहित साक्षीगण के हस्ताक्षर होने संबंधी तथ्यों को कोई विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गयी है।

49. इस प्रकार प्रतिवादीगण की साक्ष्य से वसीयत प्रडी 03 का निष्पादन कुसुमसिंह द्वारा कुसुमसिंह के पुत्र एवं पत्नी प्रतिवादी क्र. 8 विष्णु प्रतिवादी क्र. 9 रमाबाई के पक्ष में होना प्रमाणित हुआ है, तब वादग्रस्त संपत्ति परिशिष्ट अ एवं परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि के संबंध में वादीगण के स्वत्व निहित होना प्रमाणित नहीं होता हैं, तब वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कराकर कब्जा प्राप्त करने के पात्र होना भी प्रमाणित नहीं होता है। तब यह भी प्रमाणित नही होता है कि वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में अंर्तवर्ती लाभ/वासलात राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

50. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद प्रश्न क्र 01 लगायत 05 का निष्कर्ष नकारात्मक रूप से ''प्रमाणित नहीं'' के रूप में दिया जाता है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 06 सहायता एवं व्यय :—</u>

51. उपरोक्त विवेचना में वादीगण संभावनाओ की बाहुल्यता के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे है, अतः वादीगण का वाद प्रमाणित नही होने से वादीगण किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त करने के कोई अधिकारी नहीं है।

1. अतः वादीगण का वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।
2. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उभय पक्ष अपना—अपना वाद—व्यय वहन करेंगे।
3. अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार या प्रमाण पत्र अनुसार जो भी कम हो डिक्री में जोडा जावे।

तदानुसार डिक्री बनाई जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

{रविन्द्र गुप्ता}
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
सारंगपुर, जिला राजगढ़ म0प्र0

RAVINDRA GUPTA
Digitally signed by RAVINDRA GUPTA
Date: 2023.01.23 14:23:44 +0530

{रविन्द्र गुप्ता}
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
सारंगपुर, जिला राजगढ़, म0प्र0